



राजस्थान आवासन मण्डल

RAJASTHAN HOUSING BOARD

(A State Government Enterprise constituted under RHB Act 1970)

"आवास भवन", जन पथ, ज्योति नगर, जयपुर - 302005 राजस्थान, भारत

"AWAS BHAWAN", Jan Path, Jyoti Nagar, Jaipur - 302005 Rajasthan, INDIA

क्रमांक : CECHE/11

दिनांक : 15-06-2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान वित्त अधिनियम 2019 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की मूल अनुसूची के अनुच्छेद 58 में किये गये संशोधन के अनुसार संकर्म संविदा (Work Contract) पर स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 15000 रूपये को हटाया जाकर 0.25 प्रतिशत के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी देय होने का नवीन प्रावधान लागू किया जाता है। यह नवीन प्रावधान दिनांक 10.07.2019 से प्रभावी माना जावे।

मुख्य अभियन्ता मुख्यालय

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 3 मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 4 वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
- 5 निदेशक (विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर।
- 7 संयुक्त निदेशक (S.A.), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा0आ0म0, जयपुर।
- 8 उप आवासन आयुक्त वृत.....(राजस्थान).....
- 9 आवासीय अभियन्ता खण्ड.....(राजस्थान).....
- 10 रक्षित पत्रावली।

उप आवासन आयुक्त (मु0)